राजस्थान राज्य भण्डारव्यवस्था निगम

(सरकार का प्रतिष्ठान)
प्रधान कार्यालय, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर

क्रमांक : प्र.का./प्रशा./एफ.9(विविध)2015–16/ 5148 दिनांक : 14.05.2020

परिपत्र

समस्त वरिष्ठ भण्डार प्रबन्धक/
भण्डार प्रबन्धक (प्रभारी),
राज्य भण्डारगृह।

विषय : भण्डारगृहों पर जमा स्टॉक की सुरक्षा के सम्बन्ध में।

भण्डारगृहों पर जमा स्टॉक की सुरक्षा के सम्बन्ध में प्रधान कार्यालय द्वारा समय–समय पर विस्तृत निर्देश जारी किए हुए हैं। इसमें स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि स्टॉक की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भण्डार प्रबन्धक/प्रभारी द्वारा रात्रि में आकस्मिक जाँच करने, उसका इन्द्राज चौकीदार पंजिका में करने तथा स्थानीय पुलिस अधिकारियों/स्थानीय जिला प्रशासन/कृषि उपज मण्डी समिति कें अधिकारियों से सम्पर्क कर अतिरिक्त गश्त का प्रबन्ध करने, अनाधिकृत व्यक्ति के परिसर में घूमने पर प्रतिबंध लगाने, चौकीदार द्वारा रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे के मध्य प्रत्येक एक घण्टे बाद घण्टे बजाऐं जिससे यह जानकारी हो सके कि उस समय कितने बजे हैं एवं वास्तव में चौकीदार जाग रहा है। जिससे रात्रि के समय में गोदामों में किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटित होने की सम्भावना को कम किया जा सके।

अतः निगम के राज्य भण्डारगृहों पर कार्यरत समस्त प्रभारियों को सतर्कता की दृष्टि से पुनः निर्देश दिये जाकर अपेक्षा की जाती हैं कि राज्य भण्डारगृहों पर जमा स्टॉक की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किसी प्रकार की होने वाली अप्रिय घटनाओं की रोकथाम के लिये निगम द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों एवं उच्च अधिकारियों द्वारा दिये गये टेलीफोन/मौखिक निर्देशों/आदेशों की पालना कठोरता से की जावे एवं राज्य भण्डारगृह पर जमा स्टॉक की सुरक्षा में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जावे साथ ही यदि चोरी आदि की अप्रिय घटना घटित होती है तो सर्वप्रथम अपने विवेक का इस्तमाल करें तथा तत्काल स्थानीय पुलिस/प्रशासन की सहायता लेवें और पुलिस में प्रथम दृष्टंता मामला दर्ज करावें तथा अपने पर्यवेक्षक/नोडल अधिकारी एवं प्रधान कार्यालय में उच्च अधिकारियों को घटना की जानकारी देते हुए उनसे प्राप्त निर्देशों/आदेशों की पालना सुनिश्चित की जावे ताकि स्टॉक की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाकर जमाकर्ता का विश्वास कायम रखा जा सके।

(पवन कुमार गोयल)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1. निजी सहायक, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, प्रधान कार्यालय, जयपुर।
2. समस्त अधिकारीगण, प्रधान कार्यालय, जयपुर।
3. प्रबन्ध निदेशक, मैसर्स श्री शुभम लॉजिस्टिक लि., मुम्बई/जोधपुर/जयपुर।

(राज वर्धन)
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)